

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
क्रमांक:एफ4()परावि/पी.सी./आदर्शग्राम/06/1229 जयपुर,दिनांक: 24-06-2007
प्रशासनिक स्वीकृति
(नये कार्यों के लिए)

“दीनदयाल उपाध्याय आदर्श ग्राम योजना” के अन्तर्गत जिला परिषदों के पत्रांक 580 दिनांक 22.2.2007 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव अनुसार वर्ष 2007-08 में सम्पादित काराये जाने वाले निम्नांकित कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

(अ) जिला:- जयपुर

(ब) गांव का नाम:- मेदवास पंचायत का नाम:- मेदवास पंचायत समिति:- फागी

(स) गांव के चयन की तिथि 20-12-06

(राशि रु. लाखों में)

क्र.स.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि		
		कुल	DDUAGY मद से (90%)	दिशा निर्देश के पैरा 2.5 के अनुसार श्रमदान अथवा जन सहयोग (10%)
1	गन्दे पानी के निकासी की व्यवस्था, नाली निर्माण रेगरो का मोहल्ला	4.00	3.60	0.40
2	एनीकट निर्माण काल माता के पास	5.00	4.50	0.50
3	घरागाह विकास	3.00	2.70	0.30
4	रा.प्रा.बा.वि. में चार दीवारी	2.00	1.80	0.20
5	रा.प्रा.वि. ढाणी उसरिया चार दीवारी	2.00	1.80	0.20
6	आई.ई.सी.	0.50	0.50	-
	योग	16.50	14.90	1.60

उपरोक्त कार्यों के क्रियान्वयन में निम्न शर्तों का पालन किया जायेगा :-

- 1- तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति ग्रामीण कार्य निर्देशिका के अनुसार जारी करने के बाद निर्माण कार्य शुरू किया जावेगा।
- 2-ग्रामीण कार्य निर्देशिका, 2004 में निर्दिष्ट मापदण्डों एवं व्यवस्थाओं तथा योजना के प्रावधानों की पालना करते हुये ही कार्य का सम्पादन किया जावेगा।
- 3- आई.ई.सी. गतिविधि का सम्पादन जिला स्तर से निर्धारित एन.जी.ओ. द्वारा किया जावेगा।


(खेमराज)

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि:-

- 1- अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, जयपुर।
- 2- विकास अधिकारी, पंचायत समिति फागी (जयपुर)।
- 3- सरपंच, ग्राम पंचायत मेदवास पंचायत समिति फागी (जयपुर)।


शासन सचिव एवं आयुक्त